रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012024-251176
CG-DL-E-05012024-251176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2024/पौष 15, 1945
No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2024/PAUSHA 15, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2024

का.आ. 80(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ', (पैन: AAAGD1545A), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987(केन्द्रीय अधिनियम 1987 का 39) के अन्तर्गत प्रशासक, केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ द्वारा गठित एक प्राधिकरण,को उक्त प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

(क) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय,केन्द्रीय प्राधिकरण अर्थात विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा पंजाब/हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

(ग) न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रुप में प्राप्त राशि; और

(ङ) बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ –

(क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी;

(ख) कार्यकलापों और विशिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 6/2024 फा. सं. 196/8/2021-आईटीए -I]

विकास सिंह, निदेशक, (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।